

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1379
09 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

शौर्य चक्र विजेता

1379. श्री गणेश सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार द्वारा शौर्य चक्र विजेता नागरिकों को भत्ता दिए जाने का कोई प्रावधान है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या उक्त भत्ता किसी अविवाहित शौर्य चक्र विजेता की मृत्यु के पश्चात और फिर उसके आश्रित पिता की मृत्यु के बाद उसकी आश्रित माता को दिया जाता है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क): जी, हां ।

(ख): सरकार द्वारा शौर्य चक्र पुरस्कार विजेता को प्रतिमाह 6000/- रु. का भुगतान किया जाता है ।

(ग) और (घ): जब अविवाहित व्यक्ति को मृत्योपरांत पुरस्कार दिया गया हो, तो वित्तीय राशि का भुगतान उनके पिता अथवा माता को किया जाएगा ।
